

भारत में कार्ड टोकनाइज़ेशन

[स्रोत: बज़िनेस लाइन](#)

[कार्ड टोकनाइज़ेशन](#) भारत में एक महत्त्वपूर्ण तकनीकी प्रगति बन गया है, जो [डिजिटल भुगतान](#) में सुरक्षा और ग्राहक सुविधा को बढ़ाता है।

- दिसंबर 2024 तक **91 करोड़ से अधिक टोकन जारी** किये गए और लगभग **98% ई-कॉमर्स** लेनदेन को वास्तविक कार्ड डेटा के बिना संसाधित करने में सक्षम बनाया गया, जिससे **डेटा उल्लंघनों का जोखिम कम** हो गया।
- टोकनाइज़ेशन:** यह वास्तविक कार्ड विवरण के स्थान पर एक **अद्वितीय कोड** या "टोकन" देता है, जो लेनदेन के दौरान एक **सुरक्षा पहचानकर्ता** के रूप में कार्य करता है।
 - प्रकार:** **डिवाइस टोकनाइज़ेशन** (प्रत्येक डिवाइस के लिये विशिष्ट) और **कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइज़ेशन** (प्रत्येक व्यापारी के लिये विशिष्ट)।
 - सुरक्षा लाभ:** टोकन व्यापारियों को **संवेदनशील कार्ड विवरण** संग्रहीत करने से **रोकते हैं**, तथा सुरक्षा भंग होने की स्थिति में ग्राहकों की जानकारी सुरक्षित रखते हैं।
 - भावी वस्तुतः:** टोकनाइज़ेशन के **ई-कॉमर्स से आगे बढ़कर** संपर्क रहित भुगतान, आवर्ती लेनदेन और संभावित रूप से **UPI-लिक्विड क्रेडिट कार्ड भुगतान** तक बढ़ने की उम्मीद है।
 - साइबर सुरक्षा वनियम:** अक्टूबर 2022 में, RBI ने आदेश दिया कि **व्यापारी और भुगतान प्रोसेसर** अब ग्राहक कार्ड डेटा संग्रहीत नहीं करेंगे, पूरी तरह से टोकनाइज़ेशन पर निर्भर रहेंगे।

और पढ़ें: [भारत में कार्डों का टोकनाइज़ेशन](#)